

Open examination for selection of staff & Welfare Inspectors
Up Rs. 4200/-

उप. र. 4200/- में कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षकों के चयन हेतु लिखित परीक्षा।

दिनांक / Date - 24.01.2016

समय / Time - 3 Hrs. (3 घंटे)

लिखित, ड्रेजिंग एवं ओवरराइटिंग की स्थिति में, कुलमार्क/पूर्णांक - 100
(गुणांकन नहीं किया जाएगा)

In case of cutting, erasing and overwriting, objective type of questions will not be evaluated.

1 - please write True/false.

— 1 x 26 = 26 marks.

ORMs can create posts only for new assets in safety and operational categories.

The non-matriculate erstwhile GRS employees who have retired between 1.1.2006 and 4.9.2008 from the Railways would not be placed in PB-1 with GPRS 1800 w.e.f. 1.1.2006.

In case of transfer, a pass for carrying a dog may also be issued to all categories of Rly servants.

Leave on Average pay availed by a woman Rly employee ~~who~~ even for rearing or looking after needs of minor children should not be converted into Child care leave (CCL).

The benefit of encashment of Leave on average pay can be availed during Child care leave.

The period spent on study leave shall be counted for earning both LAP and LHAP.

Gold pass holder while travelling with members of his/her family is entitle for travel in any class over Indian Railway.

The General managers of Railways be delegated powers to allot the surplus Quarters to employees posted at other Stations.

CEA/hostel subsidy shall be stopped immediately when the

The reimbursement of children Education Allowance is not admissible for the child born after failure of the sterilization operation beyond two eligible children.

In case of misplacement of receipts (original) towards tuition fee, reimbursement may not be allowed even if Government servant produces duplicate receipts, ~~only~~ duly authenticated by the school authority.

Dependent divorced daughter should be considered for appointment on compassionate grounds, as like married daughter.

powers has not been delegated to DRMs to consider cases of appointment on compassionate grounds of wards of missing Railway employees.

The benefit of under MACP scheme is not applicable to Group 'A' officers of Organised Group 'A' services.

Hyderabad has been classified 'X' city for HRA.

Maternity leave is not admissible in case of still born child.

Maternity leave may be combined with leave of any kind.

Special casual leave is granted to Railway employees for Kailash Mansarovar yatra.

post retirement complimentary pass shall be issued to those retired Rly servants on whom the penalty of cent-percent cut in pension and gratuity has been imposed on or after 1.1.2005.

Out of turn allotment of Quarters are made to handicapped Rly employees.

A senior supervisor incharge may suspend GR's staff.

Reduction of lower stage in the time scale of pay by two stages for a period of 3 years is a minor penalty.

is affiliated with NEIR.

In no case, a son above the age of 21 yrs can use his father's privilege pass for travelling.

New pension scheme has been introduced on or after 1.1.2006.

Sports quota appointments if not fulfilled in a year can be carried forward to the next year.

Fill in the blanks :-

1 X 15 = 15 marks

- (i) child care leave may not be granted in more than — spells in a year, in any case.
- (ii) Selection Grade officers are entitled — berth in first AC class. ~~for~~ ~~only~~ on duty.
- (iii) for CEA upper age limit for disabled children has been set at the age of — years.
- (iv) family pension may be allowed after — months to the eligible family members, after filing FIR of missing.
- (v) The quota of reservation for direct recruitment of ex-serviceman would be — % of the vacancies in UPRS-1800 and — % in URC.
- (vi) DRMs have been delegated powers to consider compassionate appointments in respect of cases upto — years old from the date of death of the employee.
- (vii) Surplus staff when transferred to a new station involving change of residence may be permitted to retain Rly Quarter, for a maximum period of — years.
- (viii) — % of money value of all posts surrendered in the Zonal Railways be transferred to Rly Board for ~~crediting~~ ~~crediting to~~ crediting to the Railway Board Vacancy Bank.
- (ix) officers and staff undergoing training courses, other than initial courses, in Rly Training ~~and~~ Institutions where messing is compulsory shall be entitled for — % of Daily Allowance.

Indian Railway personnel are allowed — (No.) pass to and fro over Konkan Railway in a year.

(xi) A 'Gr'C' staff with G.P. Rs. 2400 is eligible for type — quarter.

(xii) A Railway servant shall be deemed to have been placed under suspension, if he is detained in custody for a period exceeding — hrs.

(xiii) — is the chairman of staff Benefit fund at Zonal level.

(xiv) — is chairman of JCM at Railway Board level.

Q. No. 3 :- Write yes or No. (whether) 1x4 = 4 marks.

(i) A Railway servant can be issued privilege pass for serving unmarried daughter.

(ii) 'Removal' from service does not debar an employee ~~from~~ from getting any other employment with the government.

(iii) Whether maternity leave is admissible to unmarried female Railway servants

(iv) Whether Disciplinary Authority below the rank of appointing authority can impose penalty specified in clause (viii) of Rule 6

Q. No. 4 Write full form of the following abbreviations: 1x5 = 5 marks

(i) ALK (ii) ZRUCC (iii) LARSBISS (iv) IRCON (v) RITES

~~(vi) RITES~~

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

Q. 5:- Write short notes on the followings :- $2 \times 5 = 10 \text{ marks}$

- (i) Compassionate Allowance
अनुकंपा भत्ता
- (ii) performing promotion and fixation of pay
प्रोफॉर्मिंग प्रमोशन एवं वेतन - निश्चरण
- (iii) provisional pension
प्रोविजनल पेंशन
- (iv) Staff Benefit Fund
स्टाफ बेनिफिट फंड
- (v) Vacancy Bank
रिक्ति बैंक

Q. 6 What are the incentives provided in Railways to promote the official language?

रेलवे में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन-योजनाएँ प्रचलित हैं?

— 10 marks.

OR / अथवा

What is the concept of staff welfare? How this has been implemented in Railways?

कर्मचारी कल्याण का क्या विद्धान्त है? रेलवे में इसे किस प्रकार लागू किया गया है?

Q. 7 What are the different classifications under H.O.E.R.? Indicate the limitations of work and the periodical rest, giving the examples in each category. When overtime is admissible under each classification?

रच. औ. ई. आर. के तहत विभिन्न वर्गीकरण क्या हैं? कार्य की सीमाएँ तथा आवधिक विग्राम के उदाहरण सहित समझाएँ। प्रत्येक वर्गीकरण में समयोपरि भत्ता कब देय होता है?

— 10 marks.

Q. No. 8 Describe the different ~~steps~~ steps of selection for filling up vacancies against promotional quota (Right from assessment of vacancies to publication of panel).

प्रवर्धन कौटा की रिक्तियों को भरने हेतु चयन-प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करें (रिक्तियों की गणना से लेकर पैनल के प्रकाशन तक)।

- 10 marks -

Q. No. 9 What are the settlement benefits admissible to the ~~retired~~ Railway employees on superannuation? pl. calculate the pension, family pension and SCRA of a running staff, assuming pay in pay Band and grade pay (i.e. basic pay).

सेवानिवृत्ति के समय एक रेलवे कर्मियों को मिलनेवाले सेवा-निवृत्ति-लाभ क्या-क्या हैं? कृपया, एक रनिंग स्टाफ के पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं डी.डी.आर.जी. की गणना पै बेंड में पे एवं ग्रेड पे के (अर्थात् बेसिक पे) को मानते (अनुमान करते) करें।

- 10 marks

or / अथवा

What are the various kinds of disablements under the M.C. Act? Describe the methods of calculation of compensation.

संक्ष. सी. एक्ट (अधिनियम) के अंतर्गत कौन-कौन-सी अक्षमताएँ हैं? क्षतिपूर्ति की गणना-विधियों को समझाएँ।

हिन्दी - अनुवाद (प्रश्न सं. 1 व 4)

कृपया, सही / गलत लिखें :-

$$1 \times 26 = 26 \text{ 315}$$

- कृपया, स्वीकृत/गलत
- (1) मंडल रेल प्रबंधक केवल नई परिसम्पत्तियों के लिए खर्चा एवं परिवर्तन-कोटियों में पगों का सृजन कर सकते हैं।
 - (2) तत्कालीन ग्रुप 'डी' कर्मचारी, जो 1.1.2006 एवं 4.9.2008 के मध्य रेल से सेवा निवृत्त हो गए हैं, को 1.1.2006 से ग्रैंड वे. रु. 1800/- में का लाभ नहीं दिया जाएगा।
 - (3) स्थानांतरण की स्थिति में, हर कोटि के रेलकर्मियों को, प्राप्ति कुतरे ले जाने हेतु पास जारी किया जा सकता है।
 - (4) अवयस्क (माइनर) बच्चों की सेवा या देखभाल के लिए भी, महिला रेलकर्मियों द्वारा उपभोग की गई औद्योगिक वेतन दुट्टी को पाउण्ड केयर लीव (पी.डी.एल) में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
 - (5) पाउण्ड केयर लीव के दौरान भी औद्योगिक वेतन अपकाश का नकदीकरण किया जा सकता है।
 - (6) अध्ययन अपकाश (एडी लीव) की अवधि, एल. ए. पी. एवं एल. ए. ए. पी. अर्जित करने हेतु गणना में ली जाएगी।
 - (7) गोल्ड पाव चारक रेलकर्मियों अपने परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा करते समय पूरे भारतीय रेल में किसी भी क्लास में यात्रा करने का हकदार है।
 - (8) रेलों के महाप्रबंधकों को यह अधिकार है कि वे दूसरे स्टेशनों पर पदस्थापित रेलकर्मियों को भी अतिरिक्त (surplus) आधार आवासित कर सकें।
 - (9) बच्चों के 'मध्य औद्योगिक क्षेत्र' में रहने पर भी, सी. ई. ए. / होस्टल व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी, यदि रेल सेवक को सेवा से निकाल दिया जाता है।
 - (10) बंद्याकरण ऑपरेशन के अखण्ड होने की स्थिति में भी बच्चा पैदा होने पर, दो से अधिक बच्चों के लिए चिलड्रेन एजुकेशन भत्ता की आदायगी नहीं की जाएगी।
 - (11) द्यूशन फीस की मूल रकमों के खो जाने पर, रेलकर्मियों द्वारा पिछालय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित डुप्लीकेट रकमों प्रस्तुत करने पर भी चिलड्रेन एजुकेशन भत्ते की आदायगी नहीं की जा सकती है।
 - (12) विवाहित बेटों की तरह, मृत रेलकर्मियों की आश्रित तलाकमुदा बेटों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति दी जा सकती है।
 - (13) गुमशुदा (missing) रेलकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति का अधिकार मंडल रेल प्रबंधकों को नहीं दिया गया है।
 - (14) संगठित (organised) ग्रुप 'ए' सेवा के माफ 'ए' सेवा - - -

- (1) वच्चे के जन्म होने की स्थिति में मातृत्व अवकाश (maternity leave) प्रदान किया जा सकता है।
- (2) मातृत्व अवकाश को किसी भी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।
- (3) कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रेल कर्मियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
- (4) 1.1.2005 को या उसके बाद सेवा निवृत्त कर्मियों को, जिनके शत-प्रतिशत पेंशन एवं ग्रैजुएट की कटौति का पट्टा दिया गया है, प्रतिपूर्क (Complimentary) पत्र दिया जाएगा।
- (5) एक विकलांग रेल कर्मियों को उनकी वारी से पहले (out of turn) रेल आवास का आवंटन किया जा सकता है।
- (6) एक सीनियर सुपरवाइजर ग्रुप 'डी' स्टाफ को नियुक्ति कर सकता है।
- (7) टाइम टेबल में तीन वर्ष की अवधि के लिए दो स्टेज नीचे का घटाव होती शक्ति (minor penalty) है।
- (8) ई. आर. एम. सी. की सम्बद्धता एन. एफ. आई. आर. से है।
- (9) किसी भी स्थिति में, 21 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र पिता के सुविधा पास पर यात्रा नहीं कर सकता है।
- (10) नई पेंशन नीति 1.1.2006 से लागू की गई है।
- (11) एक विशेष बाल के लिए निर्धारित खेल-कूद कोटे की नियुक्ति पूरी न होने पर उसे अगले बाल में ले जाया जा सकता है।

अन्य
3.3.2

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:-

$$1 \times 15 = 15 \text{ अंक}$$

- (1) किसी भी स्थिति में, चाइल्ड केयर लीव को एक साल में — स्केल (पारी) से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
- (2) सेलेक्शन ग्रेड अधिकारी इंग्रुटी पर यात्रा करने पर प्रथम सेनी (वातानुकूलित) में — वर्ष पा सकता है।
- (3) सी. ई. ए. के लिए विकलांग वच्चे की ऊपरी आयु-सीमा — वर्ष निर्धारित की गई है।
- (4) गुमशुदगी (missing) की प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज कराने के — माह बाद हकदार परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन संस्वीकृत की जा सकती है।
- (5) प्रत्यक्ष भर्ती की स्थिति में, पूर्व रैमिफे के लिए कुल ग्रेड पे. 1800/- की कुल रक्तियों का — प्रतिशत तथा ग्रुप 'सी' पदों की कुल रक्तियों का — प्रतिशत आरक्षित रखा जाता है।
- (6) रेल कर्मियों की मृत्यु के — वर्ष की अवधि तक के पुराने मामलों में अनुकूल आवांशित नियुक्ति प्रदान करने का अधिकार मंडल रेल प्रबंधक को प्राप्त है।

- (vi) स्थानांतरण की स्थिति में, सरल स्वॉफ को — यात्रा के लिए पुराने ध्यान पर रेल भाषा रखने की अनुमति दी जा सकती है।
- (vii) जोनल रेलवे में सरेंडर किए गए कुछ पदों — प्रतिभूत मूल्य रेलवे बोर्ड की रिक्ति क्षेत्र में जमा किया जाता है।
- (viii) प्रारंभिक कोर्स के अतिरिक्त, अन्य ट्रेनिंग कोर्स के लिए, रेलवे के प्रशिक्षण संस्थानों में जहाँ मेस (messing) की सुविधा प्राप्त है तथा अनिवार्य है, जाने वाले रेल कर्मी — प्रतिभूत डेली भत्ता (दैनिक भत्ता) पाने का हकदार है।
- (ix) भारतीय रेलवे के कर्मी को कोंकण रेलवे में जाने-जाने के लिए — पास (वर्ल्डवाइड) एक साल में दिया जा सकता है।
- (x) ग्रेड पेन्शन 2400/- का रेल कर्मचारी टाईप — भाषा के लिए योग्य है।
- (xi) एक रेल चैक, यदि — छंटे से अधिक भविष्य के लिए जेल में (custody) रखे जाने पर डिमंड निष्पन्न में रखा जाएगा।
- (xii) जोनल रेलवे स्तर पर — स्टाफ बेनिफिट फंड का सदस्य होता है।
- (xiii) रेलवे बोर्ड स्तर पर — जे. सी. एम. का सदस्य होता है।

उत्तर 3) निम्नलिखित के उत्तर हाँ या नहीं में दें।

1 x 4 = 4 अंक.

- (i) क्या एक रेल कर्मी, कार्यरत (serving) अविवाहित बेटी के लिए सुविधा पास का हकदार है?
- (ii) क्या सेवा से 'रिपूषण' पर एक रेल कर्मी को सरकार की किली अन्य सेवा में रोजगार पाने के अयोग्य नहीं माना जाता है?
- (iii) क्या अविवाहित महिला रेल कर्मी मातृत्व अवकाश की हकदार है?
- (iv) क्या नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) से नीचे दर्जे का अनुमानित अधिकारी (disciplinary Authority) नियम 6 के पैरा (viii) में निर्धारित शक्ति प्रदान कर सकता है?

उत्तर 4) निम्नलिखित शब्द-संक्षेपों के पूरा नाम लिखें :-

1 x 5 = 5 अंक

- (i) ALK (ii) जे. आर. यू. सी. सी. (iii) एल. ए. आर. एस. जी. ई. एल. एल. ए. एल. के.
- (iv) आई. आर. सी. ओ. एन (IRCON) (v) आर. आई. टी. ई. एस.
- (vi) ~~विशेषीयता~~